



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
Board of Secondary Education, Rajasthan, Ajmer

राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) - 2022
Rajasthan Eligibility Examination for Teachers (REET) - 2022

NfSt

पात्रता - प्रमाणपत्र

ELIGIBILITY CERTIFICATE

पंजीयन संख्या Registration No.	नामांक Roll No.	स्तर Level	श्रेणी Category	उप-श्रेणी Sub-Category	संदर्भ संख्या Ref.No.
-----------------------------------	--------------------	---------------	--------------------	---------------------------	--------------------------

NewsforSpecialTeacher.in

यह प्रमाणित किया जाता है कि It is certified that
पुत्र/पुत्री Son/Daughter of

NewsforSpecialTeacher.in

(Father पिता)

NewsforSpecialTeacher.in

(Mother माता)

NewsforSpecialTeacher.in

पत्नी/विधवा Wife/Widow of
जन्म दिनांक Date of Birth

(Husband पति)

NewsforSpecialTeacher.in

पता Address :

NewsforSpecialTeacher.in

जिला District

NewsforSpecialTeacher.in

राज्य State

NewsforSpecialTeacher.in

ने दिनांक **24-07-2022** को आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) 2022 निम्नानुसार उत्तीर्ण की है :
has qualified the Rajasthan Eligibility Examination for Teachers (REET) 2022 held on **24-07-2022** as follows :

परीक्षा का स्तर Level of Examination	पूर्णांक Max. Marks	प्राप्तांक Marks Obtained	प्रतिशत Percentage
स्तर-प्रथम (कक्षा I से V) Level - I (Class I to V)	NewsforSpecialTeacher.in		
स्तर-द्वितीय (कक्षा VI से VIII) Level - II (Class VI to VIII)			
Eligible for LANG.	NewsforSpecialTeacher.in		अनुदेशन का माध्यम Medium of Instruction
NfSt			NfSt

1. This eligibility certificate is valid for life time from the date of issuance.
2. This eligibility certificate is issued by the REET Office [Board of Secondary Education Rajasthan (BSER)] on the basis of the self declaration and information furnished by the candidate that he/she possesses the minimum education and professional qualifications prescribed by NCTE under the provisions of the Right to Children to Free and Compulsory Education Act 2009. The documents in support of the educational and professional qualifications of the candidate have not been verified by the REET Office (BSER) before issuing this eligibility certificate. Before giving appointment to the candidate, the appointing authority should verify the original documents to ascertain his/her eligibility.
3. The REET Office (BSER) has not verified the documents of the candidates belonging to SC, ST, OBC, MBC, EWS, Physically Handicapped, Widow, Divorcee, Ex.Service man, TSP & Sahariya category. At the time of appointment to the candidate against the posts reserved for these categories, the appointing authority should verify the original documents in support of the claim of the candidate.
4. Qualifying the REET will not confer any right to any candidate for recruitment/employment as it is only an eligibility certificate.

स्थान Place : अजमेर Ajmer

जारी करने की तिथि Date of Issue :

29-09-2022

समन्वयक, रा.अ.पा. परीक्षा
एवं सचिव मा.शि.बोर्ड, राजस्थान
Co-ordinator, REET and Secretary, BSER

P.T.O कृपया पृष्ठ पलटिए

1. यह पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की तिथि से आजीवन मान्य है।
2. यह पात्रता प्रमाण-पत्र रीट कार्यालय [माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान (मा.शि.बो.राज.)] द्वारा अभ्यर्थी की स्वघोषणा एवं उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएँ कि वह NCTE द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता धारक है जो बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुकूल है। रीट कार्यालय (मा.शि.बो.राज.) द्वारा इस पात्रता प्रमाण-पत्र को जारी करने से पूर्व अभ्यर्थी की शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताओं की जाँच नहीं की गई है। अभ्यर्थी की नियुक्ति से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मूल दस्तावेजों का सत्यापन करना चाहिए।
3. रीट कार्यालय (मा.शि.बो.राज.) द्वारा अभ्यर्थी के ऐसे दस्तावेजों जो SC, ST, OBC, MBC, EWS, दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, TSP और सहरिया श्रेणी के हैं, की जाँच नहीं की गई है। नियुक्ति के समय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के दस्तावेजों का सत्यापन करना चाहिए।

NewsforSpecialTeacher.in

4. REET में उत्तीर्ण होने मात्र से किसी अभ्यर्थी को भर्ती और नियुक्ति का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह मात्र पात्रता प्रमाण-पत्र है।

विशेष विवरण

NfSt

1. बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रलेखों की प्रविष्टि में हेरफेर अथवा रद्दोबदल ऊपरी लेखन करना दण्डनीय अपराध है।
2. अभ्यर्थी के मूल पात्रता प्रमाण-पत्र खो जाने/नष्ट हो जाने पर पात्रता प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि, व्यक्तिशः रीट कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा निर्धारित शुल्क एवं दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुतकर, प्राप्त किया जा सकता है।